



सुदूर क्षेत्रों में कृषि तकनीक पहुंचाते कृषि विज्ञान केन्द्र

बी.एल. जांगिड़*, पी.पी. रोहिल्ला** और जे.पी. मिश्रा***

“यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है कि पर्याप्त ध्यान देने के बावजूद, देश में जनजातीय क्षेत्र और जनजातीय लोग विकास में दूसरों से काफी पीछे हैं। ये लोग समाज के सबसे कमज़ोर और सबसे शोषित वर्ग में से एक बने हुए हैं। आजादी से पहले और बाद में, विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए संविधान में विशेष प्रावधानों के संदर्भ में, विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम तैयार किए गए थे। पिछड़ा वर्ग क्षेत्र की रणनीति से लेकर पांचवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत तक विशेष बहुउद्देशीय जनजातीय (एसएमपीटी) और जनजातीय विकास (टीडी) ब्लॉक जैसे क्षेत्र विशिष्ट दृष्टिकोण के साथ विकास के सामान्य क्षेत्रों से लाभ के प्रवाह पर निर्भर रहते हुए अब जनजातीय उपयोजना दृष्टिकोण तक पहुंच गया है।”

सैकड़ों जितने छोटे समूह हैं। इनमें से प्रत्येक समूह अपनी पहचान बनाए हुए हैं।

अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए योजना संसाधनों का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) की रणनीति वर्ष 1974 से लागू है। समावेशी, समृद्ध समाज के हमारे सपने को साकार करने का यही एकमात्र तरीका है। वर्ष 1970 के दशक के मध्य में, विशेष घटक योजना और जनजातीय उप-योजना शुरू की गई थी।

यह निर्णय लिया गया कि एक वित्तीय वर्ष के अंत में अप्रयुक्त रह गए टीएसपी फंड को दो पूलों में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिन्हें ‘एससीएसपी फंड्स का नॉन-लैप्सेबल सेंट्रल पूल (एनएलसीपीएसएफ)’ और ‘टीएसपी फंड्स का नॉन-लैप्सेबल सेंट्रल पूल (एनएलसीपीटीएफ)’ नाम दिया जाएगा। इन गैर-व्यपगत पूलों से धन क्रमशः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय



बकरीपालन इकाई का प्रदर्शन

जनजातीय जीवन की समृद्धि और विविधता भारतीय परंपरा की सबसे मूल्यवान विरासत है। जनजातीय समुदायों की छोटी-छोटी परंपराओं की तुलना में जीवन कहीं भी अपनी संपूर्णता में इतना सहज और जीवंत नहीं है। देश में 250 से अधिक समुदायों को अनुसूचित जनजातियों (उप-समूहों को छोड़कर) के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जो पूरे देश के सभी कोनों में निवास करते हैं। इनमें कुछ लाख जितने बड़े और कुछ



गृह आंगन में मुर्गीपालन इकाई

*प्रधान वैज्ञानिक (कृषि विस्तार); **प्रधान वैज्ञानिक (पशुधन उत्पादन एवं प्रबंधन); ***निदेशक, भाकृअनुप-कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान, क्षेत्र-II, जोधपुर-342005, राजस्थान

उपलब्धि

सारणी 1. भाकृअनुप-अटारी, जोन-II, जोधपुर में पिछले तीन वर्षों के दैरेन जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) को लागू करने वाले केवीके का बजट आवंटन

| क्र.सं. | राज्य | मेजबान संस्थान | कृषि विज्ञान केंद्र | बजट (लाख रुपये में) | | | | |
|------------|--|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|--|
| | | | | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | योग | |
| 1. | राजस्थान | श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोवनेर | अलवर-I | 1.31 | 10.19 | 4.51 | 16.01 | |
| 2. | | | दौसा | 1.31 | 10.19 | 4.51 | 16.01 | |
| 3. | | | जयपुर-II | 1.31 | 10.19 | 4.51 | 16.01 | |
| 4. | कृषि विश्वविद्यालय, कोटा | | बारां | 1.31 | 10.42 | 4.51 | 16.24 | |
| 5. | | | बूदी | 1.31 | 10.19 | 4.51 | 16.01 | |
| 6. | | | करौली | 1.31 | 10.19 | 4.51 | 16.01 | |
| 7. | | | कोटा | 1.31 | 10.19 | 4.51 | 16.01 | |
| 8. | | | झालावाड़ | 1.31 | 10.19 | 4.51 | 16.01 | |
| 9. | | | सवाई माधोपुर | 1.31 | 10.19 | 4.51 | 16.01 | |
| 10. | कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर | | जालौर | 1.31 | 10.19 | 4.51 | 16.01 | |
| 11. | | | सिरोही | 1.31 | 10.19 | 4.51 | 16.01 | |
| 12. | महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर | | बांसवाड़ा | 2.50 | 11.04 | 4.61 | 18.15 | |
| 13. | | | भीलवाड़ा-I | 2.00 | 10.92 | 4.61 | 17.53 | |
| 14. | | | भीलवाड़ा-II | 1.50 | 10.42 | 4.61 | 16.53 | |
| 15. | | | चित्तौड़गढ़ | 1.31 | 10.23 | 4.61 | 16.15 | |
| 16. | | | झूंगरपुर | 2.50 | 11.29 | 4.61 | 18.40 | |
| 17. | | | प्रतापगढ़ | 1.31 | 10.23 | 4.61 | 16.15 | |
| 18. | | | राजसमंद | 1.31 | 10.23 | 4.61 | 16.15 | |
| 19. | | | उदयपुर-II | 1.33 | 10.27 | 4.61 | 16.20 | |
| 20. | | | अलवर-II | 1.38 | 10.23 | 4.51 | 16.11 | |
| 21. | काजरी, जोधपुर | पाली-I | 1.75 | 10.73 | 4.50 | 16.98 | | |
| 22. | प्रगति ट्रस्ट, जयपुर | जयपुर | 1.38 | 10.23 | 4.50 | 16.10 | | |
| 23. | वनस्थली विद्यापीठ, टोंक | टोंक | 1.38 | 10.23 | 4.50 | 16.10 | | |
| 24. | विद्या भवन सोसायटी, उदयपुर | उदयपुर-I | 2.50 | 11.42 | 4.50 | 18.42 | | |
| कुल | | | | 36.58 | 205.0 | 109.00 | 350.58 | |

मामलों के मंत्रालय को जनजाति विकास योजनाओं को लागू करने के लिए वितरित किया जायेगा। इसके साथ-साथ जनजातीय उप-योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए इस निधि को आंवटिट किया जा सकता है, जो केंद्र की राज्य योजनाओं के लिए सहायता का एक हिस्सा बन सकता है।

जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) जनजातीय लोगों के तीव्र सामाजिक-आर्थिक

विकास के लिए एक रणनीति है। टीएसपी से किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के आदिवासियों और जनजातीय क्षेत्रों को दिए जाने वाले लाभ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की समग्र योजना से मिलने वाले लाभ के अतिरिक्त हैं। जनजातीय उपयोजना के तहत प्रदान की जाने वाली धनराशि कम से कम प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की एसटी आबादी के अनुपात में होनी चाहिए। टीएसपी के तहत योजना निधि के विभेदित निर्धारण के लिए कुल 28 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की पहचान की गई है। अन्य मंत्रालयों/विभागों ने भी स्वैच्छिक आधार पर टीएसपी के लिए आवंटन प्रदान करने के प्रयास करने का अनुरोध किया। टीएसपी 22 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों आंश्र प्रदेश, असोम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, करेल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल,



गृहआंगन में मुर्गीपालन इकाई के लिए चूजे उपलब्धि करवाते हुए



जनजातीय कृषकों को प्रशिक्षण

अंडमान और निकोबार द्वीप तथा दमन और दीव में लागू है।

केवीके द्वारा राजस्थान में जनजातीय उपयोजना का कार्यान्वयन

भाकृअनुप-कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान, क्षेत्र-II, जोधपुर के अंतर्गत में पिछले तीन वर्षों (वर्ष 2020-21 से 2022-23) में 24 कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार 'जनजातीय उपयोजना' के तहत विभिन्न आवश्यकता-आधारित कार्यक्रमों और गतिविधियों को क्रियान्वित

उपलब्धि

सारणी 2. अटारी, जोन-II में वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के दौरान अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) के तहत केवीके की उपलब्धियां

| क्र. सं. | सूचक | इकाई | वर्ष 2020-21 | | वर्ष 2021-22 | |
|----------|---------------------------------------|--------|--------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------|
| | | | उपलब्धियां | प्रतिभागियों की संख्या/लाभार्थी | उपलब्धियां | प्रतिभागियों की संख्या /लाभार्थी |
| 1. | खेत पर परीक्षण | संख्या | 26 | 232 | 27 | 230 |
| 2. | अग्रपक्ति प्रदर्शन | संख्या | 7330 | 7330 | 9393 | 9940 |
| 3. | किसान प्रशिक्षण (प्रतिभागी) | संख्या | 233 | 6570 | 11386 | 11386 |
| 4. | विस्तार कार्मिक प्रशिक्षण (प्रतिभागी) | संख्या | 30 | 790 | 36 | 920 |
| 5. | विस्तार गतिविधियों में भाग लेने वाले | संख्या | 165 | 7934 | 319 | 16003 |
| 6. | बीज उत्पादन | किवंटल | 2159.3 | 892 | 10924 | 1772 |
| 7. | रोपण सामग्री का उत्पादन | संख्या | 450174 | 9717 | 810388 | 6313 |
| 8. | पशुधन उपभेदों और फिंगरलिंग का उत्पादन | संख्या | 11045 | 2224 | 20133 | 1777 |
| 9. | मृदा एवं जल के नमूनों का परीक्षण | संख्या | 2712 | 2712 | 2372 | 2372 |

किया गया है। कृषि विज्ञान केन्द्रों को वर्ष 2020-21, वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान आंविट बजट का विवरण सारणी-1 में दिया गया है।

सरकार, अनुसूचित जनजातियों (एसटी) सहित सामाजिक रूप से वर्चित समूहों की भलाई के लिए विशेष चिंतित और प्रतिबद्ध है। इसे अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (एससीपी) के माध्यम से हासिल करने की मांग की गई है। अब इसे अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) (तत्कालीन टीएसपी) के रूप में जाना जाता है। केवीके का दौरा और समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट लेते हुए टीएसपी की गतिविधियों की निगरानी की गई। टीएसपी के तहत गतिविधियों को अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की आबादी और अन्य के बीच अंतर को पाठने तथा विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से किसानों की भागीदारी में क्रियान्वित किया गया है। गरीबी और रोजगार में पर्याप्त कमी, उत्पादक संपत्तियों और आय सृजन के अवसरों के निर्माण को केवीके समयबद्ध तरीके से निम्नतिखित गतिविधियों का संचालन/कार्यान्वयन करके आहार, पोषण और

आजीविका सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं:

- क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण
- बीज उत्पादन, भण्डारण बैंक एवं गांव
- अनाज भंडारण के लिए बुनियादी ढांचा
- बकरी एवं मुर्गी उत्पादन पर प्रदर्शन
- कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी/प्राथमिक प्रसंस्करण के लिए हस्तक्षेप/प्रदर्शन
- एकीकृत खेती पर प्रदर्शन
- ग्रामीण खुदरा बाजार अवसरंचना से जुड़ाव
- कृषि और संबद्ध उत्पादन और प्रबंधन प्रणाली, विषयन और मूल्यवर्धन का अध्ययन।

अनुसूचित जनजातियों (एसटी) सहित सामाजिक रूप से वर्चित समूहों के विकास और कल्याण के लिए एक समर्पित वित्त पोषण तंत्र स्थापित किया गया है। पूर्ववर्ती 'जनजातीय उपयोजन' को 'अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी)', नया नाम दिया गया है। इनके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के

विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित अधिकांश कार्यक्रमों के तहत आवंटन का 4.3 प्रतिशत प्रदान दिया जाता है। राजस्थान में, आहार, पोषण और आजीविका सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए कार्य-उन्मुख योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 24 केवीके कार्य कर रहे हैं।



बीज एवं अनाज भंडारण हेतु कोठी की उपलब्धता

राजस्थान में स्थित केवीके ने आदिवासी किसानों के क्षेत्र में 26 ऑन-फार्म परीक्षण और 7330 अग्रपक्ति प्रदर्शन आयोजित किए, 6570 आदिवासी किसानों की भागीदारी के साथ उन्नत कृषि पद्धतियों पर प्रशिक्षण 233 आयोजित किए और अन्य 7934 ने विभिन्न विस्तार गतिविधियों में भाग लिया। केवीके ने आदिवासी किसानों को उन्नत किस्मों के 2159.3 किवंटल बीज, बागवानी फसलों की 450177 रोपण सामग्री और 11045 पशुधन उपभेदों और फिंगरलिंग का उत्पादन किया और उन्हें जनजातीय कृषकों को प्रदान किया (सारणी-2)।

वर्ष 2021-22 में केवीके ने 230 किसानों की भागीदारी के साथ 27 ऑन-फार्म परीक्षण किए और आदिवासी किसानों के क्षेत्र में 7330 सहभागी अग्रपक्ति प्रदर्शन



कुकुट के लिए पौष्टिक आहार की उपलब्धता



बीज एवं अनाज के संग्रहण हेतु कोठी का प्रदर्शन

वर्ष 2020-21 में

सारणी 4. कृषि विज्ञान केंद्रों द्वाया जन जातीय उप योजना के अतर्गत व्यक्तिगत एवं सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण

संघीय बनाई गई विवरण

वर्ष 2021-22

वर्ष 2022-23

योग

| व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का निर्माण | | विवरण/संख्या | केंद्रीकृत की सं. | प्रतिशत केंद्रीकृत | विवरण/संख्या | केंद्रीकृत की सं. | प्रतिशत केंद्रीकृत | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----|---|-------|
| • भांडारण के डिल्बे | डिल्बे की भांडारण क्षमता (विव.) | 2-5 | 3 | 12.5 | 2.5-3 | 5 | 20.83 | 2-5 | 8 | 33.33 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|-----|------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|
| इकाइयां (संख्या) | 120 | 200 | 540 | 540 | 20.83 | 20-200 | 10 | 320 | 320 | 880 |
| निर्मित कुल भंडारण क्षमता (विव.) | 340 | | | | | | | | | |
| आकार (पर्यायों की संख्या) | 25-100 | 5 | 20.8 | 20-200 | 5 | 20.83 | 20-200 | 10 | 41.67 | 41.67 |
| इकाइयां (संख्या) | 144 | | | | 159 | | | 303 | | |
| कुल पक्षी (संख्या) | 6400 | | | | 6750 | | | 13150 | | |
| आकार (बकरी की संख्या) | 5-16 | 6 | 25.0 | 01-05 | 10 | 41.67 | 01-16 | 16 | 66.67 | 66.67 |
| इकाइयां (संख्या) | 78 | | | 73 | | | 151 | | | |
| कुल गजु (संख्या) | 400 | | | 254 | | | 654 | | | |
| आकार (पर्यायों की संख्या) | 100 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 0.0 | 100 | 1 | 4.17 | 4.17 |
| इकाइयां (संख्या) | 4 | | | 0 | | | 4 | | | |
| कुल पक्षी (संख्या) | 400 | | | 0 | | | 400 | | | |
| • नैप्रेसेक छेयर | 60 | 2 | 8.3 | 65 | 2 | 8.333 | 125 | 4 | 16.67 | 16.67 |
| • चारा कुट्टी मशीन | 6 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 1 | 4.17 | 4.17 |
| • लोहे की चपरी | 100 | 2 | 8.3 | 20 | 1 | 4.16 | 120 | 3 | 12.50 | 12.50 |
| • सौर मध्यका शेलर | 2 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 4.17 | 4.17 |
| • बीज डेसर | 2 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 4.17 | 4.17 |
| • घूसा साफ करने वाला | 0 | 0 | 0.0 | 30 | 1 | 4.167 | 30 | 1 | 4.17 | 4.17 |
| • ब्रश कटर | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 4.167 | 1 | 1 | 4.17 | 4.17 |
| • छोटे उपकरणों में सुधार किया गया | 200 | 1 | 4.2 | 585 | 5 | 20.83 | 785 | 6 | 25.00 | 25.00 |
| • अंगोला इकाई | 0 | 0 | 0.0 | 15 | 1 | 4.167 | 15 | 1 | 4.17 | 4.17 |
| • वर्मिकॉम्पोस्ट इकाई | 0 | 0 | 0.0 | 15 | 1 | 4.167 | 15 | 1 | 4.17 | 4.17 |
| • सिलाई मशीन | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 1 | 4.167 | 10 | 1 | 4.17 | 4.17 |
| सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण | | | | | | | | | | |
| • तेल निकालने की इकाई | 3 | 2 | 8.3 | 1 | 1 | 4.167 | 4 | 3 | 12.50 | 12.50 |
| • सीढ़ियां | 1 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 4.17 | 4.17 |
| • पावर स्प्रेयर | 7 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 3 | 12.50 | 12.50 |
| • दल प्रसंस्करण इकाई | 1 | 1 | 4.2 | 4 | 4 | 16.67 | 5 | 5 | 20.83 | 20.83 |
| • गोदावेटर | 2 | 2 | 8.3 | 1 | 1 | 4.16 | 3 | 3 | 12.50 | 12.50 |
| • पावर कुट्टी मशीन | 1 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 4.17 | 4.17 |
| • प्रजनन हेतु साड | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 8.333 | 4 | 2 | 8.33 | 8.33 |
| • रेक्ट बेड प्लाटर | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 4.167 | 1 | 1 | 4.17 | 4.17 |

आयोजित किए, 11386 आदिवासी किसानों की भागीदारी के साथ उन्नत कृषि पद्धतियों पर प्रशिक्षण आयोजित किए और अन्य 16003 ने विभिन्न विस्तार गतिविधियों में भाग लिया। केवीके ने उन्नत किस्मों के 10925 किंवंटल बीज का उत्पादन किया और 1772 किसानों को प्रदान किया, बागवानी फसलों की 810388 रोपण सामग्री का उत्पादन किया और 6313 किसानों को उपलब्ध करवाया और 20133 उत्पादित पशुधन उपभेदों और फिंगरलिंग को 1177 आदिवासी किसानों को प्रदान किया गया (सारणी-2)।

वर्ष 2022-23 के दौरान, जनजातीय खेती की समस्याओं का समाधान करने के लिए, 275 किसानों को शामिल करते हुए उन्नत प्रौद्योगिकियों पर 27 अॅन-फार्म परीक्षण किए गए। नई और उन्नत किस्मों और विधियों के पैकेज को लोकप्रिय बनाने के लिए, 6491 आदिवासी किसानों के खेतों में 5308 अग्रपंक्ति प्रदर्शन आयोजित किए गए।



स्वरोजगार के लिए बकरीपालन इकाई की स्थापना

सारणी 3. राजस्थान में वर्ष 2022-23 के दौरान एसटीपी के तहत प्रमुख गतिविधियों पर उपलब्धियां

| वर्ग | गतिविधि | वर्ष 2022-23 | |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|
| | | कार्यक्रम/ मात्रा (सं.) | लाभार्थी/ प्रतिभागी (सं.) |
| क्षमता विकास और जागरूकता | प्रशिक्षण (सं.) | 240 | 7033 |
| | शिविर/अभियान/एक्सपोजर विजिट (संख्या) | 233 | 13713 |
| उन्नत प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय बनाना | खेत पर परीक्षण (सं.) | 27 | 275 |
| | प्रदर्शन (सं.)-एफएलडी और अन्य | 5308 | 6491 |
| | बीज (क्यू) | 2313.8 | 2248 |
| जनजातीय किसानों को गुणवत्तापूर्ण आदान सहायता | पशुधन उपभेद/अंगुलियां (संख्या) | 32505 | 1429 |
| | रोपण सामग्री (सं.) | 1044419 | 16617 |
| | मृदा और पानी का नमूना विश्लेषण (संख्या) | 2300 | 2306 |
| सेवाएं/सुविधा | कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा (सं.) | 196 | 850 |
| | प्रदर्शन (सं.) | 603 | 988 |
| | प्रशिक्षण (सं.) | 63 | 1847 |
| प्राकृतिक खेती | जागरूकता कार्यक्रम (सं.) | 103 | 7244 |
| | कुल | 41646 | |



पशु चराई हेतु लोहे की नांद का प्रदर्शन

राजस्थान में जनजातियां

राजस्थान की कुल जनजातीय आबादी राज्य की कुल जनसंख्या का 13.5 प्रतिशत है। प्रत्येक आदिवासी समूह की अपनी संस्कृति, रीति-रिवाज, परंपराएं और त्यौहार हैं। यह राज्य भारत के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से यह देश का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की आबादी 92,38,534 है और राज्य की कुल जनसंख्या का 13.5 प्रतिशत है। भारत की जनगणना, वर्ष 2011 और जनगणना संचालन निदेशालय, राजस्थान के आधार पर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, दौसा, बारां, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, टोंक, जालौर, भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर, अलवर और पाली जनजातियों की आबादी वाले प्रमुख जिले हैं।

पर खेती करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। केवीके ने विशेष रूप से प्राकृतिक खेती पर क्रमशः 988, 1847 और 7244 आदिवासी किसानों को शामिल करते हुए 603 प्रदर्शन, 63 प्रशिक्षण और 103 जागरूकता अभियान आयोजित किए (सारणी-3)।

यह कहा जा सकता है कि 'जनजातीय उपयोजना' के माध्यम से भाकृअनुप-कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान, क्षेत्र-II, जोधपुर-342005, राजस्थान, के कृषि विज्ञान केंद्र अब तक तीव्र विकास के लाभ से वर्चित रह रहे जनजातीय किसानों तक बढ़ाने संख्या में पहुंचने में सफल रहे। कृषि और इससे संबंधित उद्यमों से उनकी आय बढ़ाने और सतत आय के साधन जुटाने में सहायता कर आजीविका को बेहतर करने में बहुमूल्य योगदान दिया है। ■